संख्या-3/2015/1/3/2011-का-4-2015

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 15 मई, 2015

विषय:- उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ सहायक संवर्ग के कार्मिकों को ए.सी.पी. का लाभ अनुमन्य कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, समसंख्यक शासनादेश संख्या-15/10/94(2)-का-4-2013, दिनांक 13.2.2013 के क्रम में निर्गत, समसंख्यक शासनादेश दिनांक 4.8.2014 के संबंध में विभिन्न स्रोतों से की गयी जिज्ञासाओं के परीक्षणोपरान्त, उक्त शासनादेश को निरस्त करते हुए, उर्दू अनुवादक संवर्ग को ए.सी.पी. का लाभ अनुमन्य कराये जाने के संबंध में, निम्न स्थिति/स्पष्टीकरण से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है:-

(1) शासनादेश संख्या-15/10/94(2)-का-4-2013, दिनांक 13.2.2013 के माध्यम से की गयी व्यवस्था में उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ सहायक को 10 वर्ष की सेवा पर प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में ग्रेड वेतन रूपये-2400.00 अनुमन्य होगा।

(2) उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ सहायक को प्रथम पदोन्नति के रूप में 15 वर्ष की सेवा पर पद सहित उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ सहायक पदनाम, वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रूपये-2800.00 अनुमन्य होगा। यह उसके लिए प्रथम पदोन्नति की भांति होगा और उक्त पद पर उसका वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या-वे.आ.-2-561/दस-62(एम)/2008, दिनांक 4.5.2010 के प्रस्तर-4 के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

(3) उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त कार्मिक, एक पदोन्नति प्राप्त कार्मिक की भांति होगा और उसे कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/10/94-का-4-2007, दिनांक 21.2.2007 के प्राविधानानुसार उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति की तिथि से 06 वर्ष की सेवा पर द्वितीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा।

2. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे.आ.-2-361/दस-2015, दिनांक 07 अप्रैल, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या-1/3/2011(1)-का-4-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

रघुनाथ सिंह परिहार
संयुक्त सचिव

http://Shasanadesh.up.nic.in